of six workers in the mechanised sector, it employs 22 workers. If this industry is not saved from its collapse, it will throw lakhs of workers out of employment. This can create social tension and other problems. Therefore, I appeal to the Central Government to provide protective tariff, differential excise duty, special concession, etc., and protect the handmade match industry from collapse.

Distress sale of paddy in Orissa

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, due to the State Government's inaction and FCI's non-cooperation, distress sale of paddy goes on in Orissa. The State Government and the FCI have failed to procure the paddy directly from farmers. Since the millers are the only procurers of paddy from farmers for supplying the rice quota to the Government; and that gives them a blanket power to fix the price. Paddy of common grade is being sold at Rs.250-270, whereas the minimum price is fixed at Rs.520. There are no takers, because there are no competitors in the paddy market. It has left the poor farmers high and dry as only millers buy their produce at their own pleasure, whereas the State Civil Supply Department, the Regional Marketing Cooperatives and the FCI could also directly procure paddy, from farmers which is not happening. This is because of unholy relation of mill owners, with the State Civil Supply Department officers and the FCI officials. When the Government failed to act against the erring paddy procurers, one farmer, Shri Nakul Kishore from Bolangir filed a petition in the hon. High Court of Orissa. The Chief Justice, Shri Balasubramaniam and Justice Shri A.S.Naidu, of the High Court of Orissa, after considering all pros and cons have passed the judgment and gave directions to the State Government and the Central Government to give necessary direction to the mill owners to purchase the paddy at the fixed rate. But the order of the hon. High Court is not being implemented. I once again urge upon the Government of India and the State Government to implement the judgment of the High Court of Orissa and open a Government procurement cell in each block headquarters to purchase paddy from farmers and then the Government may hand it over to the mill owners for milling.

Need to reopen Chakeri Airport and rename it as Swami Atchutanand Airport

श्री श्याम लाल (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय का ध्यान कानपुर एयरपोर्ट चकेरी, उत्तर प्रदेश से इंण्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवा पुन: प्रारम्भ किए जाने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

मैं कहना चाहता हूं कि चकेरी एयरोड्रम की स्थापना ब्रिटिश काल में की गयी थी । कानपुर भारत के मानचित्र में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है । यहां चमड़े का कारोबार, सूती मिलों के साथ साथ इंजीनियरिंग मैटीरियल के भारी कारोबार हैं । आई.आई.टी. मीडिया लैब की स्थापना के दौरान देश विदेश के 10,000 के करीब वैज्ञानिकों के भाग लेने की संभावना है । कानपुर के उद्योग से संबंधित लोगों तथा व्यापारियों में से करीब 90 से 100 लोग प्रतिदिन लखनऊ (अमोसी) हवाई अड्डे से हवाई यात्रा करते हैं ।

ब्रिटिश काल से संचालित यात्रा अब चकेरी हवाई अड्डे से पिछले 7-8 वर्षों से बंद करने के कारण कानपुर के अधिकारी व व्यापारी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । अभी दिनांक 27-04-2002 को चकेरी, सिविल हवाई अड्डा के कर्मचारियों द्वारा सम्पन्न डा0 भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह में कानपुर के जिलाधिकारी तथा व्यापारियों के भारी समूह द्वारा कानपुर हवाई अड्डा चकेरी से हवाई सेवा पुनः प्रारम्भ किये जाने की लोकहितकारी मांग को सरकार द्वारा शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किये जाने के साथ साथ इस हवाई अड्डे का नाम स्वामी अधूतानन्द हवाई अड्डा, कानपुर रखने की मांग की जाती है । धन्यवाद ।

Request to reject the decision of Group of Ministers to relax the provisions of Jute Packaging Act

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिम बंगाल) : धन्यवाद सभापति महोदय, चटकलों के साथ पूर्वी भारत विशेषकर पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का बहुत गहरा संबंध है । देश के लगभग एक करोड़ लोगों की रोजी-रोटी इस उद्योग के साथ जुड़ी हुई है । इस श्रम-सघन उद्योग से हर वर्ष हमारे देश को 600 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है । इसलिए जरूरत है कि इस उद्योग को हर प्रकार का संरक्षण देकर जीवित रखा जाए । इसी उद्देश्य से 1987 में जूट पैकेजिंग मैटीरियल एक्ट पास किया गया । इस कानून के तहत कई क्षेत्रों के लिए जूट का इस्तेमाल पैकेजिंग की सामग्री के रूप में करना अनिवार्य बना दिया गया लेकिन परवर्ती दिनों में देखा गया कि सीमेंट और रासायनिक खाद (यूरिया) को इस कानून के दायरे से अलग कर दिया गया लेकिन अब भी चीनी और खाद्यानों की पैकेजिंग जूट की सामग्री से हो, इसका कानूनी प्रावधान बना हुआ है । लेकिन अब तीन मंत्रियों के एक ग्रुप ने यह निर्णय लिया है कि इस एक्ट में आगे और ढिलाई करके चीनी और खाद्यानों की पैकेजिंग की कानूनी बाध्यता को भी क्रमशः समाप्त कर दिया जाए । इनके फैसले के अनुसार पहले कदम में 25 प्रतिशत चीनी और 20 प्रतिशत खाद्यानों को दूसरे पैकेजिंग मैटीरियल से पैक करने की अनुमति दी जाएगी । फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाकर दूसरे वर्ष में 50 और 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा और आगे 75 और 80 प्रतिशत तक ले जाया जाएगा । जाहिर है कि इससे हमारे देश के जूट उद्योग और लाखों पाट के किसानों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा । यह निर्णय पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है । यह निर्णय सिंथैटिक लॉबी के दबाव के कारण लिया गया है । यह राष्ट्र के हित में नहीं बल्कि कुछ विशेष पूंजीपतियों के हित में लिया गया निर्णय है । जूट के बोरों की उपलब्धता में भी कहीं कोई कमी नहीं है इसलिए यह दलील भी सही नहीं है । मेरा निवेदन है कि लाखों किसानों और मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ न करें और मंत्रियों के समूह के निर्णय को स्वीकारा नहीं जाए । धन्यवाद।